न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(रजनी मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :— 147/2020
निर्णय दिनांकः— 19.03..2021

उनवान

1. आशाराम पुत्र मोज्या जाति मीना निवासी खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक
2. छीतर पुत्र मोज्या जाति मीना निवासी खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक

— प्रार्थी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र रामनिवास जाति मीना निवासी खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक
2. रमेशी पुत्री रामनिवास जाति मीना निवासी खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक
3. नटी पुत्री रामनिवास जाति मीना निवासी खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक
4. कजोडी पुत्री रामनिवास जाति मीना निवासी खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक
5. अनोख पुत्री रामनिवास जाति मीना निवासी खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक
6. टोंक जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 टोंक शाखा उनियारा
7. तहसीलदार उनियारा जिला टोक

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः— श्री बेणी प्रसाद मीणा वकील प्रार्थीगण
श्री श्योजी लाल चौधरी वकील अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि प्रार्थी न0 1 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 1394/784 रकबा 0.10, ख0न0 1396/813 रकबा 1.00, ख0न0 810 रकबा 0.64 हे0 वाके ग्राम खोहल्या एवं प्रार्थी न0 2 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 1395/784 रकबा 0.35, ख0न0 1397/813 रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम खोहल्या तहसील उनियारा एवं सामलाती चाह ख0न0 814 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम खोहल्या तहसील उनियारा मे स्थित है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी की आराजी पर ग्राम खोहल्या से ग्राम कुण्डेर जा रहे रास्ते ख0न0 774 से होते हुए ख0न0 783 सिवाईचक भुमि पर होते हुए प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि ख0न0 1395/ व 1394/784 पर से होते हुए प्रतिवादीगण की खातदेरी की भूमि ख0न0 785 की मेड के सहारे होते हुए प्रार्थीगण की ख0न0 1396/813 व 1397/813 के सहारे—सहारे होते हुए अपने गे0मु0 चाह ख0न0 814 पर आते चले आ रहे है। तथा इसी रास्ते से होकर अपने कृषि उपकरण, ट्रैक्टर ट्रोली हल बैल कुली इत्यादि लाते ले जाते रहे है तथा यही रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है, जिससे आने जाने का प्रार्थीगण को सुखाधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि वादग्रस्त आराजी पर आने जाने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता भी नही है। जो कि प्रतिपक्षीगण ने पर चारो ओर चीरे गाडकर तारकशी कर प्रार्थीगण के रास्ते को बंद कर दिया है। जिससें अपनें खातेदारी की भूमि में आने—जाने में अवरोध उत्पन्न हो गया है, जिसका उसे कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि उक्त रास्ता बन्द कर दिया गया तो प्रार्थीगण अपने जायज हक व अधिकारो से वंचित हो जायेगा। प्रार्थीगण नियमानुसार डीएलसी रेट के अनुसार जमा करवाने को तैयार है।

51a.152

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

यह कि प्रार्थीगण की अधियाचना है कि प्रार्थीगण को अपने खातेदारी की भूमि ख0न0 1396/813 व 1397/813, गे0मु0 चाह ख0न0 814 वाके ग्राम खोहल्या तहसील उनियारा प्रार्थीगण अपने खातेदारी की आराजी पर ग्राम खोहल्या से ग्राम कुण्डेर जा रहे रास्ते ख0न0 774 से होते हुए ख0न0 783 सिवाईचक भुमि पर होते हुए प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि ख0न0 1395/784 व 1394/784 पर से होते हुए प्रतिवादीगण की खातदेरी की भूमि ख0न0 785 की मेड के सहारे–सहारे होते हुए अपने 15 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करते हुए प्रार्थीगण को नियमानुसार डीएलसी रेट की राशि जमा करवाने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 कर प्रतिपक्षीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण के अधिवक्ता पक्षकारान की उपस्थिति में राजीनामा पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर आने जाने लिए आराजी ख0न0 774 से आराजी पर ग्राम खोहल्या से ग्राम कुण्डेर जा रहे रास्ते ख0न0 774 से होते हुए ख0न0 783 सिवाईचक भुमि पर होते हुए प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि ख0न0 1395/784 व 1394/784 पर से होते हुए प्रतिवादीगण की खातदेरी की भूमि ख0न0 785 की मेड के सहारे–सहारे होते हुए प्रार्थीगण की ख0न0 1396/813 व 1397/813 के सहारे–सहारे होते हुए अपने गे0मु0 चाह ख0न0 814 पर जाने के लिए 15 फीट का रास्ता दे दिया जावे तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है। प्रकरण में तहसीलदार उनियारा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक मौका रिपोर्ट मोके पर प्रार्थीगण अपने खातेदारी कुऐ एवं भूमि पर आने जाने हेतु खोहल्या से सूरेली जाने वाली मुख्य सडक से ख0न0 774 गै0 मु0 रास्ता से होकर ख0न0 783 सिवायचक भूमि से होकर प्रार्थी आशाराम पुत्र मौज्या की खातेदारी ख0न0 1394/784 की मेड के सहारे होकर ख0न0 1395/784 की मेड पर होते हुए प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी भूमि व कुए खसरा नम्बर 814 पर आते जाते है। मोके पर उक्त रास्ता लगभग 15 फीट चौडा है और वर्तमान मे चालू हैं । परन्तु राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है।

उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिपक्षीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर आने जाने लिए ग्राम खोहल्या से ग्राम कुण्डेर जा रहे रास्ते ख0न0 774 से होते हुए ख0न0 783 सिवाईचक भुमि पर होते हुए प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि ख0न0 1395/784 व 1394/784 पर से होते हुए प्रतिवादीगण की खातदेरी की भूमि ख0न0 785 की मेड के सहारे–सहारे होते हुए प्रार्थीगण की ख0न0 1396/813 व 1397/813 के सहारे–सहारे होते हुए अपने गे0मु0 चाह ख0न0 814 पर जाने के लिए 15 फीट का रास्ता दे दिया जावे तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 वाके ग्राम खोहल्या ख0न0 1394/784 रकबा 0.10, ख0न0 1396/813 रकबा 1.00, ख0न0 810 रकबा 0.64 हे0 वाके ग्राम खोहल्या प्रार्थीगण न0 1 एवं प्रार्थी न0 2 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 1395/784 रकबा 0.35, ख0न0 1397/813 रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम खोहल्या तहसील उनियारा एवं सामलाती चाह ख0न0 814 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम खोहल्या तहसील उनियारा के खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर आने–जाने के लिए वर्तमान में कोई रास्ता दर्ज नही है। प्रतिपक्षीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर आने जाने लिए ग्राम खोहल्या से ग्राम कुण्डेर जा रहे रास्ते ख0न0 774 से होते हुए ख0न0 783 सिवाईचक भुमि पर होते हुए प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि ख0न0 1395/784 व 1394/784 पर से होते हुए प्रतिवादीगण की खातदेरी की भूमि ख0न0 783 की मेड के सहारे–सहारे होते हुए 15 फीट का रास्ता दे दिया जावे तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है। यह रास्ता सबसे छोटा रास्ता है। जो उपयुक्त है। वर्तमान मे राजीनामा अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

251a.158

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को खातेदारी भूमि पर आने जाने के ए ग्राम खोहल्या से ग्राम कुण्डेर जा रहे रास्ते ख0न0 774 से होते हुए ख0न0 783 सिवाईचक भुमि पर हुए प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि ख0न0 1395/784 व 1394/784 पर से होते हुए वादीगण की खातदेारी की भूमि ख0न0 785 की मेड के सहारे–सहारे होते हुए प्रार्थीगण की ख0न0 96/813 व 1397/813 के सहारे–सहारे होते हुए अपने गे0मु0 चाह ख0न0 814 पर जाने के लिए 15 ट चोडा रास्ता दिया जाकर तहसीलदार उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रास्ते कि लम्बाई, डाई नाप कर राजस्थान स्टाम्प नियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित भूमि कीमत की गुनी राशि अप्रार्थीगण को दिया जावे तथा राशि राजकीय भूमि की राशि राजकोष में जमा करवाया जावे । त आदेशानुसार रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाये। रास्ता सिर्फ प्रार्थीगण के ये उपयोग हेतु नही होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा।. फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 19.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उप खण्ड आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, उनियारा

254